



2026:AHC:172721

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी. एन. एस. एस के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 6776 वर्ष 2026

दयाराम एवं 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : बृजेश कुमार यादव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार यादव तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 312 वर्ष 2026, धारा 115(2), 352, 351(2) एवं 76 भारतीय न्याय संहिता, थाना अली नगर, जनपद चन्दौली में उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकगण पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया है कि पक्षकारों के बीच पारिवारिक विवाद को आपराधिक न्यायालयों में घसीटा गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथित घटना कब और कहाँ घटित हुई, इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्राथमिकी दिनांक 23.05.2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(2), 76, 309(4) के अंतर्गत दर्ज की गई थी, तथापि, समुचित विवेचना के पश्चात भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) के अंतर्गत विवेचना हटा दी गई है। घायल की चोट आख्या के अनुसार, कोई असामान्यता या अस्थिभंग नहीं पाया गया। घायल को कथित रूप से आई चोटें प्रकृति में साधारण थीं। पीड़िता के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। यह झूठा आरोप लगाया गया है कि आवेदक सोनू ने पीड़िता की लज्जा भंग की। आवेदकगण के आपराधिक पूर्ववृत्त को शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 10 में स्पष्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदक संख्या 2 एवं 3 मुकदमा अपराध संख्या 375 वर्ष 2018, मुकदमा अपराध संख्या 146 वर्ष 2022 में सम्मिलित नहीं थे। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं तथा विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

7. **सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं एक अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़ देना आदि, पर विचार करना होगा। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा उसे अस्वीकार किया जाए, इस पर विचार करते समय सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को अधिरोपित भूमिका तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। प्रदान करना है या नहीं, यह विवेक का विषय है।

8. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676**

में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षा में विवेचना आवश्यक हो जाती है या यह कोई जघन्य अपराध हो अथवा जहां साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त फरार हो सकता हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह विधिसम्मत है, यह अनिवार्य नहीं करता कि गिरफ्तारी की जानी ही चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अकल्पनीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचक के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार होगा या समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने पूरे समय विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

9. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदकगण की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक- **दयाराम, निर्मला देवी, सोनू** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, यदि वे संबंधित थाने के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के दो-दो जमानतदारों के साथ रु.50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करते हैं;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचक के साथ सहयोग करेंगे तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजन से जब भी अपेक्षित किया जाएगा, विवेचक के समक्ष उपस्थित होंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

9. किसी भी शर्त के उल्लंघन या दुरुपयोग की स्थिति में, शासकीय अधिवक्ता/विवेचक/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है।

17 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।